राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1435/2016/नागौर

मैसर्स के.पी. मार्बल्स,
गुणावती इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड़,
मकराना, नागौर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, मकराना .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित ....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"उपायुक्त(प्रशासन)"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–मकराना (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित एकपक्षीय आदेश को रिओपन करने के लिए धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2016 को उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण में व्यवसाई द्वारा वर्ष 2004–05 का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के कारण व्यवसाई को नोटिस जारी किया गया। व्यवसाई के नहीं मिलने पर नोटिस चस्पांदगी से तामील किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.03.2007 द्वारा चैक पोस्ट मकराना पर जमा सत्यापन, गतवर्ष की बिक्री व अन्तिम स्टॉक के आधार पर अधिनियम की धारा 29(7) के अन्तर्गत स्वविवेक से एकतरफा आदेश पारित किया। प्रकरण में कर राशि रूपये 15,500/–, धारा 58 में ब्याज राशि रूपये 4,650/– व धारा 61 व 68 में शास्ति राशि रूपये 2,500/– कुल राशि रूपये 21,650/– की मांग कायम की गई। व्यवसाई द्वारा उपरोक्त एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर प्रकरण रिओपन करने हेतु निवेदन किया। उपायुक्त(प्रशासन) ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया है कि मांगपत्र मय कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.07.2007 को तामील करवाया गया है व एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस दिनांक 30.11.2006 को तामील हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता

लगातार.....2

है कि एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व का तामीलशुदा नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.03.2007 में चस्पांदगी से तामील का उल्लेख है। चस्पांदगी से तामील वैकल्पिक तामील की श्रेणी में आती है जो व्यक्तिगत तामील नहीं हो सकने की स्थिति में ही की जानी चाहिए। कर निर्धारण आदेश व मांगपत्र की तामील भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यदि डाक से तामील करवाई जानी भी हो रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रकरण में विधिवत नोटिस तामील नहीं है जिससे एकपक्षीय आदेश अपास्त किया जाना विधिसम्मत होने के कारण अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं। अपीलार्थी का एकपक्षीय आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को आदेश दिये जाते हैं कि व्यवसाई को रिकॉर्ड, लेखाविवरण आदिप्रस्तुत करने का अवसर देकर सुनवाई कर पुनः नियमानुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें। व्यवसाई कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.08.2018 को पेश हों।

3. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य